(32)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018/निगरानी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा/2018/0789

आवेदक --

श्री ... द्वारा आज 29-1-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 29-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रमेश जाटव पुत्र श्री कमला जाटव, आयु 60 वर्ष, व्यवसाय - कृषि, निवासी ग्राम बरखेडा खुर्द, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

बनाम

अनावेदकगण --

1- लाल साहब पुत्र श्री सुखलाल, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम बरखेडा खुर्द, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

2- मध्य प्रदेश शासन, द्वारा - कलेक्टर, जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

3- तहसीलदार, तहसील बदरवास, जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

S.L. ... Adv. 29/1/18

<u>निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2017 पारित न्यायालय तहसीलदार बदरवास, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 70/2016-17/अ-12 में पारित।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-</u>

1- यहकि, ग्राम बरखेडा खुर्द, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 748 रकवा 0.15, 750/2 रकवा 0.16 एवं 751 रकवा 0.10 हैक्टेयर, का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार, बदरवास के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जबकि आवेदक को उक्त सीमांकन में ना तो पक्षकार बनाया और ना ही सूचना पत्र प्रेषित किया। सीमांकनों के नियमों के विपरीत जाकर, पारित किया सीमांकन आदेश नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

...ा प्रभारी (रा.मं.) 27.1.18
...य महाधिवक्ता, ग्वालियर

2- यहकि, उक्त विवादित सर्वे नम्बरों का सीमांकन करते समय मेढियों को ना तो सूचना पत्र प्रेषित किया गया और ना ही साक्ष्य लिये गये। घर बैठकर प्रचलित की गयी कार्यवाही निरस्त किये योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— एक / निगरानी / शिवपुरी / 2018 / 0789

रमेश जाटव विरूद्ध लाल साहब आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7 –08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार बदरवास, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 70 / 2016 / अ–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 04–07–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–09–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	